

①
अपर उपायुक्त का न्यायालय, सरायकेला-खरसावाँ ।
आदेश फलक

आदेश पत्रक ता०
जिला-सरायकेला-खरसावाँ
SAR अपील वाद सं०- 01/2017-18,
केस का प्रकार - राजेन्द्र मंडल एवं अन्य बनाम कुंवर मांझी एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ															
14.1).2022	<p>उप समाहर्ता प्रभारी , विधि शाखा, सरायकेला-खरसावाँ के पत्रांक-32/विधि, दिनांक 14.02.2017 के द्वारा एस.ए.आर. अपील वाद सं०-01/17-18 सुनवाई हेतु प्राप्त है। इस वाद में (1) राजेन्द्र मण्डल (2) लक्ष्मी नारायण मण्डल, दोनों के पिता स्व० विनोद मण्डल, ग्राम-भुरकुली, पो० + थाना-सरायकेला, जिला- सरायकेला- खरसावाँ ने एस०ए०आर० वाद सं०- 05/2016-17 में भूमि सुधार उपसमाहर्ता, सरायकेला के आदेश दिनांक-29.12.2016 के विरुद्ध अपील दायर किया गया है। इस वाद के विपक्षी (1) कुंवर मांझी (2) सिदाम मांझी, दोनों के पिता स्व० मकरु मांझी, ग्राम-भुरकुली, थाना-सरायकेला, जिला- सरायकेला - खरसावाँ हैं।</p> <p style="text-align: center;">वादग्रस्त भूमि का विवरणी निम्न प्रकार है-</p> <table border="1" data-bbox="384 1272 1134 1480"> <thead> <tr> <th>मौजा</th> <th>थाना नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>खेसरा नं०</th> <th>रकवा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>भुरकुली</td> <td>275</td> <td>95</td> <td>543/ए 544/ए</td> <td>0.10 एकड़</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>कुल -</td> <td>0.10 एकड़</td> </tr> </tbody> </table> <p>अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक 28.01.2017 को उपायुक्त महोदय के न्यायालय में निम्न विन्दुओं पर मुख्यतः लिखित पक्ष रखा गया है-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अपील वाद के प्रतिवादी छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-71(ए) के तहत भूमि सुधार उपसमाहर्ता, सरायकेला के न्यायालय में उक्त भूमि का भू वापसी हेतु वाद दायर किया गया जिसमें अपीलार्थी एवं अन्य को बतलाया गया कि प्रतिवेदित भूमि पर अपीलार्थीगण का अवैध दखल है। 	मौजा	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा नं०	रकवा	भुरकुली	275	95	543/ए 544/ए	0.10 एकड़				कुल -	0.10 एकड़	
मौजा	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा नं०	रकवा													
भुरकुली	275	95	543/ए 544/ए	0.10 एकड़													
			कुल -	0.10 एकड़													

1



2. अपीलार्थीगण के द्वारा निम्न न्यायालय में पक्ष रखा गया कि अपीलार्थीगण के द्वारा किसी प्रकार का अवैध दखल नहीं किया गया है एवं यह बात भू वापसी अधिनियम के तहत Limitation में नहीं आता है।
3. अपीलार्थीगण के द्वारा मौजा-भुरकुली, थाना सं0-275, खाता सं0-95, प्लॉट सं0-543/ए, रकवा-0.11 एकड़ एवं प्लॉट सं0-544/ए, रकवा- 0.02 एकड़ भूमि खतियानी रैयत (वर्तमान अपील वाद के प्रतिवादी के पिता) मकरू माझी से 3,300/- रू0 में पंचायत के लिखित नामा के आधार पर क्रय किया गया है और अपीलार्थीगण के पिता के द्वारा सिविल कोर्ट में टाईटल सूट वाद सं0-46/1975 दायर किया गया जिसमें हाल सर्वे वर्ष 1964 में गलत इन्द्राज होने से संबंधित है जिसपर अपीलार्थीगण के पक्ष में आदेश पारित हुआ।
4. अपीलार्थीगण के द्वारा प्रतिवेदित भूमि पर तीन कमरा एवं एक बराण्डा निर्मित है एवं वर्ष 1975 से इस भूमि पर निर्वाध दखल कब्जा है। अंचल अधिकारी, सरायकेला के प्रतिवेदन में लंबे समय से घर निर्माण किये जाने का प्रतिवेदित है।
5. निम्न न्यायालय द्वारा एस0ए0आर0 वाद के माध्यम से दिनांक 29.12.2016 को उभय पक्षों को सुनने के पश्चात आदेश पारित किया गया कि एस0ए0आर0 वाद के प्रतिवादी गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को प्रतिवेदित भूमि से बेदखल किया जाय एवं तीन माह के अंदर संरचना हटा दी जायेगी। जिसपर अपीलार्थीगण संतुष्ट नहीं हैं।
6. अपीलार्थीगण के द्वारा निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत नहीं होने का प्रतिवेदित किया गया है।
7. अपीलार्थीगण के द्वारा प्रतिवेदित भूमि पर लगभग 40 वर्षों से अधिक दखल होने के संबंध में Adverse possession के आधार पर किसी प्रकार का स्वामित्व के संबंध में निम्न न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया है।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक 23.07.2022 को पुनः निम्न विन्दुओं पर लिखित पक्ष रखा गया है-

1. प्रतिवेदित भूमि अपीलार्थीगण के द्वारा प्रतिवादीगण के पिता-मकरू माझी से वर्ष 1944-45 में क्रय किया गया है। अपीलार्थीगण के द्वारा माननीय सिविल कोर्ट में टाईटल सूट वाद सं0-46/1975 सर्वे वर्ष 1964 में गलत रैयत का नाम इन्द्राज होने के कारण वाद दायर किया गया था। जिसमें अपीलार्थीगण के पक्ष में डिक्री हुई है एवं अपीलार्थीगण दिनांक 24.03.1975 से प्रतिवेदित भूमि पर घर बनाकर दखलकार हैं। अपीलार्थीगण का दावा के संबंध में अंचल अधिकारी, सरायकेला का प्रतिवेदन support हेतु है।
2. अपीलार्थीगण के द्वारा निम्न न्यायालय में पक्ष रखा गया कि अपीलार्थीगण के द्वारा किसी प्रकार का अवैध दखल नहीं किया गया है एवं यह बात भू वापसी अधिनियम के तहत Limitation में नहीं आता है।

3. अपीलार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि वर्ष 1975 में प्रतिवादीगण के पिता से क्रय किया गया है जिसपर कमरा का निर्माण एवं बराण्डा है । इस प्रकार लगभग 40 वर्षों वाद भूवापसी वाद दायर करना Barred by Limitation है।

उक्त प्रत्युत्तर में अपील वाद के प्रतिवादी द्वारा दिनांक 22.01.2020 को वकालतनामा हाजरी देकर समय की मांग किया गया एवं पुनः दिनांक 31.01.2020, 21.09.2021, 22.10.2021, 21.12.2021, 02.02.2022 के द्वारा समय की मांग की गई। इन्हें पक्ष रखने हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया परंतु इनके द्वारा लिखित रूप से किसी प्रकार का पक्ष नहीं रखा गया।

निम्न न्यायालय द्वारा एस0ए0आर0 वाद सं0-05/2016-17 में दिनांक- 29.12.2016 को निम्न विन्दुओं पर आदेश पारित किया गया -

विन्दु-1 - विवादी भूमि अनुसूचित जनजाति की है, जबकि विपक्षी गण गैर अनुसूचित जनजाति की है। विवादी भूमि क्रय करने के उपायुक्त से पूर्वानुमति नहीं ली गई है। अतः विवादी भूमि की खरीद-बिक्री में धारा-46 सी0एन0टी0 के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है।

विन्दु-2 - टाईटल सूट में उपायुक्त को पक्षकार नहीं बनाया गया है। सुलहनामा आवेदन पत्र की छायाप्रति को अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि विपक्षी के पिता मकरू माझी का हस्ताक्षर है, जिसका सत्यापित आशुतोष आचार्य, अधिवक्ता ने किया है।

विन्दु-3 - 100.00 रुपये से अधिक मूल्य का जमीन निर्बाधित होना आवश्यक है। अंचल अधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में विवादित भूमि का कुल मूल्य-3300.00 (तीन हजार तीन सौ) रुपये बताया गया है। इस जाँच प्रतिवेदन से पता चलता है कि आवेदक के पिता एवं विपक्षियों के बीच रूपयों का लेन-देन पंचायत के माध्यम से किया गया है, किन्तु यह लेन-देन विधि सम्मत नहीं है, क्योंकि अनुसूचित जनजाति की भूमि को उपायुक्त के अनुमति से ही प्राप्त किया जा सकता है। विपक्षियों ने साक्ष्य के रूप में पंचायतनामा कागजात प्रस्तुत किया है, किन्तु यह किसी न्यायालय से प्रदर्श या अभिप्रमाणित नहीं है।

विन्दु-4- इस प्रकार निम्न न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि टाईटल सूट सं0-46/1975 में विपक्षी संख्या 1 से 2 के पिता ने सुलहनामा के आधार पर डिक्री प्राप्त किया है। सुलह के आधार पर डिक्री को Collusive decree घोषित किया गया है एवं इसे विधि विरुद्ध माना गया है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि इस मामला में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों का भी उल्लंघन हुआ।

विन्दु- 5- इसलिए उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है। चूंकि विवादी भूमि पर टाईल्स का पक्का संरचना है। अतः विपक्षी उक्त संरचना को आदेश पारित होने के तीन माह के अंदर स्वयं खाली कर दें। अंचल अधिकारी, सरायकेला को निदेश दिया जाता है कि निर्धारित अवधि बीत जाने के बाद विपक्षी खाली नहीं करते हैं तो

वैधानिक रीति से आवेदित भूमि पर अवस्थित संरचना हटाते हुए दखल देहानी की कार्यवाही संपन्न कराएं।

उक्त आदेश निम्न न्यायालय द्वारा पारित है।

अपीलार्थी द्वारा रखे गये पक्ष एवं निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन उपरांत निम्न विन्दु स्पष्ट होते हैं-

1. हाल सर्वे खतियान 1964 में मौजा-भुरकुली, थाना सं0-275, खाता सं0-95, अंतर्गत भूमि मकरू माझी, पिता- साउरी माझी, जाति - संधाल, निवासी- निज ग्राम दर्ज है।
2. विवादी भूमि अनुसूचित जनजाति की है, जबकि विपक्षी गण गैर अनुसूचित जनजाति की है। विवादी भूमि क्रय करने के उपायुक्त से पूर्वानुमति नहीं ली गई है। अतः विवादी भूमि की खरीद-बिक्री में धारा-46 सी0एन0टी0 के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है।
3. टाईटल सूट में उपायुक्त को पक्षकार नहीं बनाया गया है। यह टाईटल सूट Compromise Decree है जो Collusive decree है। अपीलार्थी का Adverse possession के आधार पर स्वामित्व का दावा इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। अपीलार्थी इस हेतु सक्षम न्यायालय में जाने के लिए स्वतंत्र है।
4. अंचल अधिकारी के द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्ता को दिनांक-18.10.2016 को भेजी गई प्रतिवेदन में कहीं भी उल्लेख नहीं है कि अपीलार्थीगण लगभग 40 वर्षों से अधिक समय से वादग्रस्त भूमि पर दखलकार हैं। इस लिए अपीलार्थी का दावा स्वीकार नहीं है।

अतएव उक्त के आलोक में अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है एवं निम्न न्यायालय द्वारा एस0ए0आर0 वाद सं0-05/2016-17 में दिनांक-29.12.2016 को पारित आदेश यथावत रखा जाता है। आदेश की प्रति अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उपसमाहर्ता, सरायकेला एवं अंचल अधिकारी, सरायकेला को भेजे।

लेखापित

अपर उपायुक्त
सरायकेला-खरसावों ।



अपर उपायुक्त
सरायकेला-खरसावों ।